कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रवशि/परिषद सम्बद्धता/2020/1811 लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय फार्मास्यूटिकल कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न स्ववित्त पोषित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर लखनऊ को आवश्यक से परिषद कार्यालय से केवल संलग्न सूची/ केवल से परिषदों द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/नई से संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवेदित पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता/विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परिषद की अनुशंसा के सम्बद्धता समिति की बैठक दि 5-9-20 में निर्णयोपरान्त फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं पूर्ण के सम्बद्ध संस्थाओं का सम्बद्धता संबंधित द्वारा संबद्धता विस्तार-विस्तार किया गया एवं संबंधन्तरित से पीसीआईद्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा संचालन को प्राविधिक शिक्षा परिषद, एस.एस लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता निम्नवत प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईद्वारा क्रमश सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईद्वारा /परिषद द्वारा क्रमश सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1046	एच0एम0टी0टी0आई0 मोहित ऑफ फार्मेसी, तेहरा, केनारागढ़ आगरा।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीआई0द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, डेमेरिट विनियमावली-2018 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विनियम अधिसूचि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- परिषदी, दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों हेतु रू0 45000.00/- परिषदी एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- परिषदी शुल्क ही पालीकेन्द्रवार प्रवेश के पात्र किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश मानकी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस विनियमन अधिनि द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की स्वीकृतता दो लागू होगी।
- संस्था को (डेमेरा प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संशोधनों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रवशि/परिषद सम्बद्धता/2021/3527 लखनऊ: दिनांक: 09/09/2021

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय फार्मास्यूटिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न स्ववित्त पोषित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06.08.2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक से समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ नई से संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता/विस्तार पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि वर्तमान अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक के लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभिन्न संस्था को फार्मेसीफिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमवार एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1046-H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY, TEHRA, KENRAGARH AGRA.

क्रमांक0	पाठ्यक्रम का नाम	एच0एम0टी0टी0आई0/ पीसीपीई0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, डेमेरिट विनियमावली-2018 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विनियम अधिसूचि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- परिषदी, दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों हेतु रू0 45000.00/- परिषदी एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- परिषदी शुल्क ही पालीकेन्द्रवार प्रवेश के पात्र किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश मानकी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस विनियमन अधिनि द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की स्वीकृतता दो लागू होगी।
- ✓ संस्था को प्रत्येक स्थायीय विनियम द्वारा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अनुसार निर्धारित एवं समयानुसार शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0 से अनापत्ति सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्धि/विनियमों/अधिसूचनाओं/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ समय परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय निर्गत नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर्यंत भी की अवधि तक विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त नहीं होंगे। यदि इस संबंध में समाधान उच्चन्यायालय/संस्था का होगा और प्राविधिक शिक्षा के लिये भी जवाबदेही होगी। फार्मेसीफिक शिक्षा परिषद, लखनऊ समय परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हक दावा किया जाता है तथा दावा ब्याज खर्च के संबंध में का. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति खेमेदी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति खेमेदित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमत प्रवेश परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनी वर्ष के लिए आवेदित संस्था परिषद हेतु फार्मेसीफिक पालन होने के पूर्व पीसीपीआई0 के अनुमोदित कराना तथा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ अन्य प्रवेश सम्बन्धा द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत स्वीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भवन, छात्र-छात्राओं, उपकरण, कराए किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्रावास उपलब्ध कराने के साथ विज्ञान रीक्षने के सम्बन्ध में छात्रावास आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पालनाधिकार संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु विनियम समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के समयीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था से भूमि, भवन, फार्मेसीफाल्ल, उपकरण एवं अन्य स्टाफ-फाउल्टी एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)

अधिक

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रवशि/परिषद सम्बद्धता/2022/7917 लखनऊ: दिनांक: 30/09/2022

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय फार्मास्यूटिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न स्ववित्त पोषित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर लखनऊ से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30.08.2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक से समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ नई से संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता/विस्तार पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि वर्तमान अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक के लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभिन्न संस्था को फार्मेसीफिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमवार एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

संस्था का कोड एवं नाम : 1046-H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक0	पाठ्यक्रम का नाम	एच0एम0टी0टी0आई0/ पीसीपीई0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2020, डेमेरिट विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत नियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विनियम अधिसूचि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- परिषदी, दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों हेतु रू0 45000.00/- परिषदी एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पालीटेकनिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- परिषदी शुल्क ही पालीकेन्द्रवार प्रवेश के पात्र किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश मानकी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस विनियमन अधिनि द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की स्वीकृतता दो लागू होगी।
- ✓ संस्था को अनुमत प्रवेश परिषद परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अनुसार निर्धारित एवं समयानुसार शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनी वर्ष के लिये निर्धारित/संचालित/अनुमोदित/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ समय परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय निर्गत नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ यदि संस्थान का एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध से समस्त उच्चन्यायालय संस्था का होगा और प्राविधिक शिक्षा के लिये भी जवाबदेही के लिये संस्था स्वयं उच्चन्यायालयी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ समय परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दावा किया जाता है तथा

दावा वाद के खर्चा के सं. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति खेमेदी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति अनिवार्य संस्था को करनी होगी।

- ✓ प्रवेशपत्रों को अनुमत प्रवेश परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यथासमय सभी प्रवेश हेतु अधिसूचित काउन्सिलिंग प्रवेश होने के पूर्व एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0 से अनुमोदित कराना तथा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की अनापत्तिविहीन के संस्थान परीक्षण के आधार पर/संचालित पाठ्यक्रम अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत आरक्षण/छात्रवृत्ति नियमों का अनुपालन कराना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भवन, छात्र-छात्राओं, उपकरण, कराए किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्रावास उपलब्ध कराने के साथ विज्ञान रीक्षने के सम्बन्ध में छात्रावास आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु विनियम समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के समयीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था से भूमि, भवन, फार्मेसीफाल्ल, उपकरण एवं अन्य स्टाफ-फाउल्टी एच0एम0टी0टी0आई0/पीसीपीई0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एच0के0 ओझा)

अधिक

पृ0सं0- प्रवशि/परिषद सम्बद्धता/2022/7918-8455 दिनांक: 30/09/2022

प्रतिलिपि:-

एच0एम0टी0टी0आई0/H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY

(एच0के0 ओझा)

अधिक